संख्या-66/2023/3617/22-2-2022-17(1590)/2022

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 फरवरी, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह, खरगीखेडा, थाना-पुरवा, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी ने राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण दिनांक 08.08.2006 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी एवं अवैध हथियारों से गोली मारकर व जीप से कुचल कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-24/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 504, 506, 427 व धारा-3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/ एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट, उन्नाव के आदेश दिनांक 13.11.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 18.12.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी को अन्य सत्र परीक्षण सं0-226/2013 में धारा-3(1) यू0पी0जी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-8, उन्नाव के आदेश दिनांक 29.09.2016 द्वारा 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 15 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 08 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण दिनांक 08.08.2006 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी एवं अवैध हथियारों से गोली मारकर व जीप से कुचल कर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सन्तोष सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष सिंह (बन्दी संख्या-27122) पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-66/2023/3617(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-66/2023/3617/22-2-2022-17(1590)/2022

दिनांक 25 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह, खरगीखेडा, थाना-पुरवा, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी ने राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण दिनांक 08.08.2006 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी एवं अवैध हथियारों से गोली मारकर व जीप से कुचल कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-24/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 504, 506, 427 व धारा-3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/ एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट, उन्नाव के आदेश दिनांक 13.11.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 18.12.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी को अन्य सत्र परीक्षण सं0-226/2013 में धारा-3(1) यू0पी0जी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-8, उन्नाव के आदेश दिनांक 29.09.2016 द्वारा 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 15 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 08 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण दिनांक 08.08.2006 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी एवं अवैध हथियारों से गोली मारकर व जीप से कुचल कर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सन्तोष सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।